निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या 62/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

दिनेश कुमार महावर, सी-20, परसरामपुरी, जलमहल, आमेर रोड, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार अनुभाग, कलक्ट्रेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय दिनांक 07.10.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 26.06.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर वैधपुरी पर्वत कॉलोनी, आमागढ, ट्रांसपोर्ट नगर कच्ची बस्ती सर्वे नं. 1998, 1995, 2004 से संबंधित सूचनाएं चाही गई थी। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार अनुभाग, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई, टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 219 दिनांक 18.09.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 215 दिनांक 12.09.2025 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सूचना उपलब्ध कराए जाने के उपरांत प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
6. निर्णय आज दिनांक 7.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर